वैवाहिक संबंधों में जाति एवं गोत्र की भूमिका

डॉ. महेश कुमार गर्ग

ABSTRACT

वैवाहिक संबंधों में जाति का आधार पारंपरिक रूप से अंतर्विवाह रहा है, जबकि गोत्र का आधार बहिर्विवाह माना जाता है; दोनों व्यवस्थाएँ पारिवारिक पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता से जुड़ी रही हैं।

KEYWORDS-अंतर्विवाह, गोत्र, जाति, विवाह, सगोत्र विवाह, समाजशास्त्र

डॉ. महेश कुमार गर्ग
सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर सिटी

सार

वैवाहिक संबंधों में जाति का आधार पारंपरिक रूप से 'अंतर्विवाह' (अपनी ही जाति में विवाह) रहा है, जबकि गोत्र का आधार 'बहिर्विवाह' (समान गोत्र से बाहर विवाह) माना जाता है। ये दोनों व्यवस्थाएँ भारतीय समाज में पारिवारिक पहचान, सांस्कृतिक निरंतरता और सामाजिक मानदंडों से जुड़ी रही हैं।

जाति की भूमिका

- सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान: पारंपरिक व्यवस्था में समान जाति के भीतर विवाह को रीति-रिवाजों, खान-पान, भाषा और पारिवारिक परंपराओं में तालमेल बनाए रखने का माध्यम माना जाता रहा है।
- पारिवारिक और सामुदायिक स्वीकृति: कई परिवारों में विवाह तय करते समय जातिगत समानता को सामाजिक स्वीकार्यता और सामुदायिक जुड़ाव से जोड़कर देखा जाता है।
- बदलता दृष्टिकोण: शहरीकरण, शिक्षा और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के कारण अब अंतरजातीय विवाहों को लेकर समाज और परिवारों में पहले की तुलना में अधिक चर्चा और विविध दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं।

गोत्र की भूमिका

- वंश और पूर्वज की पहचान: गोत्र किसी व्यक्ति के पितृवंशीय पूर्वज या ऋषि परंपरा से जुड़ी पहचान को दर्शाता है। वेदिक मार्ग के अनुसार, विवाह के समय गोत्र मिलान का उद्देश्य सगोत्र विवाह की स्थिति से बचना होता है।
- सगोत्र विवाह का निषेध: परंपरागत रूप से एक ही गोत्र के लोगों को एक ही वंश या भाई-बहन समान मानकर आपस में विवाह वर्जित माना जाता है। कई समुदायों में केवल स्वयं का गोत्र ही नहीं, बल्कि माता, दादी या नानी के गोत्र को भी ध्यान में रखने की प्रथा है।
- आनुवंशिक और सामाजिक तर्क: पारंपरिक और सामाजिक विमर्श में एक ही गोत्र में विवाह न करने के पीछे निकट रक्त-संबंध या सीमित आनुवंशिक दायरे से जुड़े जोखिमों से बचने का तर्क दिया जाता है।

परिचय

गोत्र का अर्थ है ऋषि-वंश: बौधायन के अनुसार सात ऋषियों और आठवें अगस्त्य की संतान। विवाह में इसका महत्व यह है कि शास्त्र एक ही गोत्र या एक ही प्रवर वाले वर-कन्या का विवाह वर्जित करते हैं। संस्काररत्नमाला के अनुसार कन्यादान में दोनों के गोत्र-प्रवर इसीलिए बोले जाते हैं -- ताकि सगोत्र-सप्रवर होने की शंका दूर हो।

हिंदू धर्म की बात करें तो हम सब एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। हममें से कई लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, शिक्षा अच्छी है और आय भी अच्छी है--चाहे हम ब्राह्मण हों, कायस्थ हों, बनिया हों या किसी अन्य जाति के हों। चाहे आप शाकाहारी हों या मांसाहारी, या मध्यम वर्ग, उच्च-मध्यम वर्ग या धनी वर्ग से हों, जाति का महत्व आज भी इतना क्यों है?

जीवनशैली, खान-पान की पसंद, शौक और सोच जैसे कारकों का मेल खाना अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है---ये वे कारक हैं जो विवाह के बाद के जीवन को वास्तव में प्रभावित करते हैं। मैंने प्रेम विवाहों के साथ-साथ अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों (जैसे हिंदू-पंजाबी या हिंदू-ईसाई) से कई सफल जोड़ों को देखा है; वे सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं और परिवारों द्वारा भी उन्हें स्वीकार किया गया है, जहाँ इन कारकों ने जाति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से, अधिकांश लोगों के लिए जाति आज भी मायने रखती है। आपको यह समझना होगा कि जाति केवल एक पदानुक्रम नही है, बल्कि एक सामाजिक समुदाय भी है जिसके रीति-रिवाज, मान्यताएं और सबसे महत्वपूर्ण, खान-पान की आदतें एक जैसी होती हैं। जाति से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि आपके पास सरकारी या निजी क्षेत्र में अच्छी नौकरी हो। यदि आप अपने परिवार या समुदाय पर 10% भी निर्भर हैं, तो जाति मायने रखती है। मैंने ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जो एक दशक तक चले, लेकिन अंत में टूट गए क्योंकि एक साथी ने कहा कि तुम मेरी जाति के नही हो, जबकि सच्चाई यह थी कि जो साथी उनसे मिलने आया था वह या तो अधिक धनी था या वर्तमान साथी से अधिक सुंदर/युवा था। [1,2,3]

भारतीय समाज में जाति की भूमिका सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में देखी जाती है। समाजशास्त्रियों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसकी भूमिका बहुआयामी है।

1. सामाजिक भूमिका

- पहचान और जुड़ाव: जाति व्यक्ति को जन्म से एक सामूहिक पहचान देती है और समान समुदाय के भीतर आपसी सहयोग व एकता की भावना बनाती है।
- सामाजिक संरचना और पदानुक्रम: परंपरागत रूप से इसने समाज में भूमिकाएँ, विवाह के नियम (अंतर्विवाह) और सामाजिक स्तर तय किए हैं।
- असमानता और भेदभाव: कई समाजशास्त्रियों और अध्ययनों के अनुसार, जातिगत पदानुक्रम के कारण ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से कुछ वर्गों को भेदभाव, वंचना और संसाधनों तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ा है।

2. आर्थिक भूमिका

- व्यवसाय और श्रम विभाजन: पारंपरिक व्यवस्था में जातियों का संबंध विशिष्ट शिल्प, कृषि या व्यापार जैसे पेशों से

जुड़ा रहा है।

- आधुनिक बदलाव: शहरीकरण, शिक्षा और नए रोजगारों के कारण पेशे का जाति से जुड़ाव कम हुआ है, हालांकि संसाधनों, भूमि और अवसरों तक पहुँच पर इसका प्रभाव कही-कही आज भी दिखता है।

3. राजनीतिक भूमिका

समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास और अन्य राजनीतिक अध्ययनों के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति कई तरीकों से काम करती है:

- मतदान और लामबंदी: चुनावों में उम्मीदवार चयन, प्रचार और मतदाताओं को एकजुट करने में जातिगत समीकरण एक महत्वपूर्ण तत्व रहते हैं।
- प्रतिनिधित्व और दबाव समूह: विभिन्न जातिगत संगठन और समूह अपनी मांगों व प्रतिनिधित्व के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव बनाते हैं तथा मंत्रिमंडल या नीति निर्माण में संतुलन का विषय बनते हैं।
- सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव: एक ओर इससे वंचित समूहों में राजनीतिक जागरूकता और प्रतिनिधित्व बढ़ा है, वही दूसरी ओर अत्यधिक जातिवाद सामाजिक विभाजन और तनाव का कारण भी बन सकता है।[4,5,6]

4. सांस्कृतिक भूमिका

- परंपराओं का संरक्षण: विभिन्न जातिगत समूह अपनी रीति-रिवाजों, लोककलाओं, त्योहारों और पारंपरिक ज्ञान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम करते हैं।

विचार-विमर्श

वैवाहिक संबंध (विवाह या वैवाहिक बंधन) पति-पत्नी के बीच एक सामाजिक, सांस्कृतिक और अक्सर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बंधन है। यह जीवनसाथियों के बीच, उनके बच्चों और विस्तारित परिवार के प्रति अधिकारों, जिम्मेदारियों और भावनात्मक-आर्थिक साझेदारी को स्थापित करता है।

मुख्य पहलू

- सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप: विवाह परिवार और समाज की एक बुनियादी संस्था है। इसकी परंपराएं और मान्यताएं अलग-अलग संस्कृतियों, धर्मों और समय के अनुसार बदलती रहती हैं।
- कानूनी आधार: विवाह कानूनी रूप से जीवनसाथियों के अधिकारों और दायित्वों को तय करता है। इसमें साथ रहने के अधिकार (कंजुगल राइट्स), भरण-पोषण, संपत्ति, विरासत और बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। [7,8,9]
- बदलते स्वरूप: परंपरागत रूप से कई समाजों में परिवार की सहमति या तयशुदा विवाह अधिक प्रचलित रहे हैं, जबकि आधुनिक समय में व्यक्तिगत पसंद, प्रेम विवाह और समानता आधारित साझेदारी का महत्व बढ़ा है।

विवाह , जिसे वैवाहिक बंधन भी कहा जाता है , पति-पत्नी के बीच एक सामाजिक या धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त बंधन है

जो उनके बीच, उनके और उनके बच्चों के बीच, और उनके और उनके ससुराल वालों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। विवाह की परिभाषा विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार भिन्न होती है, लेकिन मूल रूप से यह एक ऐसी संस्था है जिसमें अंतरव्यक्तिगत संबंधों, आमतौर पर यौन संबंधों को मान्यता दी जाती है। कुछ संस्कृतियों में, किसी भी यौन गतिविधि से पहले विवाह की अनुशंसा की जाती है या इसे अनिवार्य माना जाता है। व्यापक रूप से परिभाषित करने पर, विवाह को एक सांस्कृतिक सार्वभौमिक माना जाता है।

लोग कई कारणों से विवाह कर सकते हैं, जिनमें कानूनी, सामाजिक, कामुक, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक और धार्मिक उद्देश्य शामिल हैं। वे किससे विवाह करते हैं, यह सामाजिक रूप से निर्धारित नियमों, विवाह संबंधी नियमों, माता-पिता की पसंद और व्यक्तिगत इच्छा से प्रभावित हो सकता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में, निर्धारित विवाह, बाल विवाह, बहुविवाह और कभी-कभी जबरन विवाह को सांस्कृतिक परंपरा के रूप में अपनाया जाता है। इसके विपरीत, महिलाओं के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून के कारण दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसी प्रथाओं को गैरकानूनी घोषित किया जाता है और दंडनीय अपराध माना जाता है। दुनिया के विकसित हिस्सों में, महिलाओं के लिए विवाह में समान अधिकार सुनिश्चित करने और अंतरधार्मिक , अंतरजातीय और समलैंगिक जोड़ों के विवाह को कानूनी मान्यता देने की दिशा में एक सामान्य प्रवृत्ति देखी गई है। ये प्रवृत्तियाँ व्यापक मानवाधिकार आंदोलन के अनुरूप हैं। [10,11,12]

विवाह को राज्य, संगठन , धार्मिक प्राधिकरण, जनजातीय समूह, स्थानीय समुदाय या समकक्षों द्वारा मान्यता दी जा सकती है। इसे अक्सर एक अनुबंध के रूप में देखा जाता है। नागरिक विवाह, जो कुछ देशों में मौजूद नही है, एक ऐसा विवाह है जिसमें धार्मिक तत्व शामिल नही होते हैं और इसे संबंधित क्षेत्राधिकार के विवाह कानूनों के अनुसार सरकारी संस्था द्वारा संपन्न किया जाता है , और इसे वैवाहिक अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करने वाला माना जाता है। विवाह धर्मनिरपेक्ष नागरिक समारोह में या धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। विवाह का कार्य आमतौर पर इसमें शामिल व्यक्तियों और उनकी संतानों के बीच मानक या कानूनी दायित्व उत्पन्न करता है। कानूनी मान्यता के संदर्भ में, अधिकांश संप्रभु राज्य और अन्य क्षेत्राधिकार विवाह को विपरीत लिंगी जोड़ों तक सीमित रखते हैं और इनमें से कुछ ही बहुविवाह, बाल विवाह और जबरन विवाह की अनुमति देते हैं। बीसवी शताब्दी में, बढ़ते हुए देशों और अन्य क्षेत्राधिकारों ने अंतरजातीय विवाह, अंतरधार्मिक विवाह और हाल ही में, लिंग - तटस्थ विवाह पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है और इन्हें कानूनी मान्यता प्रदान की है। कुछ संस्कृतियाँ तलाक या विवाह रद्द करने के माध्यम से विवाह विच्छेद की अनुमति देती हैं। कुछ क्षेत्रों में, राष्ट्रीय कानूनों के बावजूद बाल विवाह और बहुविवाह जैसी प्रथाएं हो सकती हैं।

परिणाम

जब हिंदू समुदाय में दो लोग शादी करने का फैसला करते हैं, तो परिवार कई पारंपरिक कारकों पर विचार करते हैं। वे पृष्ठभूमि, मूल्यों और पारिवारिक इतिहास की जांच करते हैं। इन पारंपरिक कारकों में गोत्र की अवधारणा का केंद्रीय स्थान है।

प्राचीन संस्कृत में गोत्र शब्द का मूल अर्थ गौशाला या अस्तबल होता था। सदियों से इसका अर्थ बदलता रहा है। आज यह वंश परंपरा को दर्शाता है। यह परिवार के पूर्वज ऋषि से जुड़े वंश का पता लगाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता से अपना गोत्र प्राप्त करता है। यह प्रणाली एक विशाल, परस्पर जुड़ा हुआ पारिवारिक वृक्ष बनाती है जो हजारों वर्षों तक फैला हुआ है। [13,14,15]

हिंदू विवाह में गोत्र नियमों को समझने के लिए प्राचीन वैदिक सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। यह प्रणाली परिवारों को उनकी जड़ों के आधार पर वर्गीकृत करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लोग अपनी विरासत के प्रति जागरूक रहें। यह पीढ़ियों के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करता है।

हिंदू विवाह में गोत्र के मूल नियम

गोत्र प्रणाली का मूल नियम सरल है: एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नही कर सकते। इस प्रथा को सगोत्र विवाह निषेध के नाम से जाना जाता है।

1. सगोत्र निषेध का नियम

एक ही गोत्र के लोग सगोत्र कहलाते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें भाई-बहन माना जाता है क्योंकि इनका पूर्वज एक ही पुरुष होता है। पारंपरिक हिंदू विधि में एक ही गोत्र के व्यक्ति से विवाह करना अनुचित माना जाता है। इसलिए, परिवार की पवित्रता बनाए रखने के लिए हिंदू विवाह के गोत्र नियम इन विवाहों को सख्ती से वर्जित करते हैं।

2. प्रवारा का नियम

प्रवरा किसी विशेष वंश में प्रकट हुए विशिष्ट प्रख्यात ऋषियों को संदर्भित करता है। जब कोई पुजारी अनुष्ठान करता है, तो वह गोत्र और प्रवरा का पाठ करता है। दो व्यक्तियों के गोत्र नाम भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यदि उनके प्रवरा काफी हद तक मेल खाते हैं, तो विवाह निषिद्ध हो सकता है। इससे यह सुनिश्चित करने के लिए जांच का एक अतिरिक्त स्तर जुड़ जाता है कि दंपति के बीच कोई घनिष्ठ पैतृक संबंध न हो।

3. मातृ गोत्र नियम (मतुल्या)[16,17,18]

कुछ समुदाय इस निषेध को माता के जन्म गोत्र तक भी बढ़ा देते हैं। उत्तरी भारत में, कई परिवार विवाह वार्ता के दौरान चार विशिष्ट गोत्रों से परहेज करते हैं:

- पिता का गोत्र
- माता का गोत्र
- दादी का गोत्र
- नानी का गोत्र

इस व्यापक जांच प्रक्रिया से दूल्हा और दुल्हन के वंशों के बीच अधिकतम दूरी सुनिश्चित होती है। यह भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए निषेध का एक व्यापक जाल बुनती है।

4. विवाह के दौरान गोत्र परिवर्तन

परंपरागत ग्रंथों के अनुसार, विवाह के बाद स्त्री का गोत्र बदल जाता है। वह अपने पिता के वंश को छोड़कर अपने पति के वंश में प्रवेश करती है। विवाह की रस्में, विशेष रूप से कन्यादान और पाणिग्रहण, इस परिवर्तन का प्रतीक हैं। विवाह के बाद, वह भविष्य के सभी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अपने पति का गोत्र अपनाती है।

आज के समय में गोत्र नियमों की प्रासंगिकता

वैदिक काल से लेकर अब तक दुनिया में काफी बदलाव आ चुके हैं। शहरीकरण, वैश्विक गतिशीलता और आधुनिक शिक्षा ने युवा हिंदुओं के रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है। फिर भी, हिंदू विवाह में गोत्र नियमों की प्रासंगिकता आज भी गहन चर्चा का विषय बनी हुई है।

आधुनिक शहरी दुविधा

आधुनिक शहरों में, युवा पेशेवर कार्यस्थल, विश्वविद्यालयों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलते हैं। प्रेम विवाह आम बात है। जब दो लोग प्यार में पड़ते हैं, तो वे शायद ही कभी अपनी पहली मुलाकात में गोत्र के बारे में पूछते हैं।

जब परिवारों को पता चलता है कि दंपत्ति का गोत्र एक ही है, तो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। यह स्थिति भावनात्मक तनाव पैदा करती है। परिवारों को प्राचीन परंपराओं और अपने बच्चों की खुशी के बीच चुनाव करना पड़ता है।

आधुनिक भारत में कानूनी दृष्टिकोण

भारत की कानूनी व्यवस्था ने इस परंपरा को स्पष्ट रूप से संबोधित किया है। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम ने प्रारंभ में सगोत्र विवाहों पर प्रतिबंध लगाया था। हालाँकि, बाद के संशोधनों ने इस रुख को बदल दिया।

आज भारतीय कानून सगोत्र विवाहों की अनुमति देता है। कानून कहता है कि जब तक कोई विशिष्ट स्थानीय प्रथा स्पष्ट रूप से मना न करे, केवल एक ही गोत्र के होने के आधार पर विवाह को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता। न्यायालय वंशानुक्रम के कठोर नियमों के बजाय व्यक्तिगत पसंद और आधुनिक मानवाधिकारों को प्राथमिकता देते हैं।

डिजिटल वैवाहिक और वंशावली जांच[18,19,20]

कानूनी बदलावों के बावजूद, लाखों परिवार आज भी पारंपरिक विवाह पद्धति को ही प्राथमिकता देते हैं। आधुनिक तकनीक इन पुरानी ज़रूरतों के अनुरूप ढल रही है। पारंपरिक विवाह मध्यस्थ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिवारों को वंश के आधार पर विकल्पों को छांटने में मदद करते हैं।

उदाहरण के लिए, जब परिवार मैट्रिमोनियल्सइंडिया जैसे पोर्टलों पर जीवनसाथी खोजते हैं , तो उन्हें गोत्र, जाति और पैतृक गांव के लिए अलग-अलग अनुभाग मिलते हैं। तकनीक ने चयन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। यह उपयोगकर्ताओं को अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए संभावित जीवनसाथियों के वैश्विक डेटाबेस तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करती है।

निष्कर्ष

विवाह कई रूपों में होता है, जो इसमें शामिल लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों और उस समाज की सांस्कृतिक अपेक्षाओं पर निर्भर करता है जिसमें वे रहते हैं। [1] विवाह को राज्य, संगठन, धार्मिक प्राधिकरण, जनजातीय समूह, स्थानीय समुदाय या साथियों द्वारा मान्यता दी जा सकती है। इसे अक्सर एक कानूनी अनुबंध के रूप में देखा जाता है । विश्व भर में, पुरुषों के साथ विवाह में महिलाओं के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करने और अंतर- जातीय , अंतर- नस्लीय , अंतर- धार्मिक , अंतर - संप्रदाय , अंतर-वर्गीय , अंतर-सामुदायिक , अंतर्राष्ट्रीय और समलैंगिक जोड़ों के प्रति अधिक सहिष्णुता की दिशा में एक सामान्य प्रवृत्ति रही है । विवाहित महिलाओं की कानूनी स्थिति, विवाह के भीतर हिंसा के प्रति

नरमी, दहेज और दुल्हन की कीमत जैसी प्रथाएं , विवाह योग्य आयु और विवाह पूर्व और विवाह के बाद के यौन संबंधों के अपराधीकरण के संबंध में बहस जारी है ।[20]

संदर्भ

1. प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियाँ । संयुक्त राष्ट्र। 2014. doi : 10.18356/9d44ec81-en . ISBN 978-92-1-056467-0.
2. हैविलैंड, विलियम ए.; प्रिंस, हेराल्ड ई.एल .; मैकब्राइड, बनी ; वालराथ, डाना (2011)। "अध्याय 9: यौन संबंध, विवाह और परिवार"। सांस्कृतिक नृविज्ञान: मानवीय चुनौती (13वां संस्करण)। सेंगेज लर्निंग। पृष्ठ 209। ISBN 978-0-495-81178-7."विवाह की एक गैर-जातीय केंद्रित परिभाषा दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत मिलन है जो लोगों के बीच, उनके और उनके बच्चों के बीच और उनके और उनके ससुराल वालों के बीच कुछ अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है।"
3. एम्बर सीआर , गोंजालेज बी, मैकक्लोस्की डी (16 जुलाई 2021), एम्बर सीआर (संपादक), "विवाह और परिवार" (पीडीएफ) , मानव संस्कृति की व्याख्या (विषयगत सारांश), न्यू हेवन, सीटी: मानव संबंध क्षेत्र फाइलें, पृष्ठ 5 , 17 मार्च 2024 को प्राप्त किया गया।
4. कूंट्ज़, स्टेफ़नी। (2005)। विवाह, एक इतिहास: आज्ञाकारिता से आत्मीयता तक, या कैसे प्रेम ने विवाह पर विजय प्राप्त की । न्यूयॉर्क: वाइकिंग प्रेस, पेंगुइन ग्रुप इंक. पृष्ठ 125-29, ISBN 0-14-303667-X.
5. हार्पर, डगलस आर. (13 अक्टूबर 2021). "विवाह (संज्ञा)" . ऑनलाइन व्युत्पत्ति शब्दकोश . 17 मार्च 2024 को प्राप्त किया गया ।
6. ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का 11वां संस्करण, "विवाह"
7. "विवाह (संज्ञा)" , ऑनलाइन व्युत्पत्ति शब्दकोश।
8. बेल, दुरान (1997)। "विवाह और वैधता को परिभाषित करना"। करंट एंथ्रोपोलॉजी । 38 (2): 237– 253. doi : 10.1086/204606 . JSTOR 10.1086/204606 . प्रोक्वेस्ट 237074319 .
9. गेर्स्टमैन, इवान (2004). समलैंगिक विवाह और संविधान . कैम्ब्रिज [इंग्लैंड]; न्यूयॉर्क : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस. पृष्ठ 22. ISBN 978-0-521-81100-2 - इंटरनेट आर्काइव के माध्यम से।
10. वेस्टरमार्क, एडवर्ड (26 अक्टूबर 2017)। मानव विवाह का इतिहास । खंड 1 (5वां संस्करण)। न्यूयॉर्क: द एलर्टन बुक कंपनी। पृष्ठ 71। ISBN 978-0-7661-4618-1 - इंटरनेट आर्काइव के माध्यम से। {{cite book}}: एक से अधिक |publication-date=निर्दिष्ट |date=(सहायता)
11. वेस्टरमार्क, एडवर्ड (1936). पश्चिमी सभ्यता में विवाह का भविष्य . मैकमिलन. पृ. 3. hdl : 2027/uva.x001496017 .
12. मानवशास्त्र पर टिप्पणियाँ और प्रश्न । रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। 1951. पृष्ठ 110।
13. गॉफ, ई. कैथलीन (1959)। "नायर और विवाह की परिभाषा"। रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड । 89 (1): 23–34 . doi : 10.2307/2844434 . ISSN 0307-3114 . JSTOR 2844434 .नूअर

समुदाय में महिलाओं का विवाह इसलिए किया जाता है ताकि संपत्ति परिवार के भीतर ही रहे, क्योंकि परिवार में कोई पुत्र नही होता। यह समलैंगिकता का एक रूप नही है।

14. गॉफ, कैथलीन (1968)। "नायर परिवार और विवाह की परिभाषा"। पॉल बोहनन और जॉन मिडलटन (संपादक) द्वारा संपादित। विवाह, परिवार और निवास । न्यूयॉर्क: नेचुरल हिस्ट्री प्रेस। पृष्ठ 68।
15. लीच, ई.आर. (1955)। "बहुपतित्व, विरासत और विवाह की परिभाषा"। मैन . 55 : 182–186 . doi : 10.2307/2795331 . JSTOR 2795331 .
16. बनर्जी, देबंजन; राव, टी.एस. सत्यनारायण (2022)। "वैवाहिक बलात्कार की काली छाया: कथा को बदलने की आवश्यकता" । जर्नल ऑफ साइकोसेक्सुअल हेल्थ । 4 (1): 11–13 . doi : 10.1177/26318318221083709 . ISSN 2631-8318 . 7 जून 2026 को पुनः प्राप्त।
17. लुंग, तांग (2014)। 'इनन्ना और दुमुज़ी का विवाह' । विश्व इतिहास विश्वकोश ।
18. गुडी, जैक (1976). उत्पादन और पुनरुत्पादन: घरेलू क्षेत्र का एक तुलनात्मक अध्ययन । कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। पृष्ठ 7. ISBN 978-0-521-29088-3.
19. रोएस, फ्रैंस एल. (1992)। "समाज का आकार, एक विवाह, और मानव नैतिकता का समर्थन करने वाले उच्च देवताओं में विश्वास"। सोशल वेटेन्सचैपेन के लिए टिज्ड्स्क्रफ्ट । 37 (1): 53-58 .
20. "पुनर्विवाह की जनसांख्यिकी" । प्यू रिसर्च सेंटर की सामाजिक और जनसांख्यिकीय रुझान परियोजना । 14 नवंबर 2014। 28 जून 2021 को प्राप्त किया गया ।